उत्तर प्रदेश शासन

न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय)

संख्या- 10/2021/195/सात-न्याय-2-2021-31जी/2008

लखनऊः दिनांक 23 मार्च, 2021

अधिसूचना

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के भाग दस और उक्त संहिता की धारा 89 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति एवं इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके उच्च न्यायालय, इलाहाबाद निम्नलिखित नियमावली बनाता है:-

उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली, 2021

1- **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:**

यह नियमावली उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली 2021 कही जायेगी।

यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी |

2- **विस्तार:**

यह नियमावली उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अधीनस्थ किसी न्यायालय में लम्बित किसी वाद या अन्य कार्यवाही के सम्बन्ध में जिला में स्थापित मध्यस्थता और सुलह केन्द्र हेतु निर्दिष्ट मध्यस्थता पर लागू होगी ।

3- **मध्यस्थों का पैनल:**

(एक) मध्यस्थों का एक पैनल तैयार करने के प्रयोजनार्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश निम्नलिखित व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करेंगे:-

(क) ऐसे अधिवक्ता, जिनके पास न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो;

(ख) सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश;

(ग) ऐसे वृत्तिक/विशेषज्ञ, जिनके पास अपने-अपने क्षेत्रों में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो और जो विधि के क्षेत्र से सुपरिचित हों ।

आवेदकों को एक उपक्रम प्रस्तुत करना होगा कि वे भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थता प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे ।

(दो) जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रत्यय पत्रों का मूल्यांकन करने के पश्चात्, पात्र आवेदकों की सूची तैयार करेंगे। ऐसे व्यक्तियों, जिनके नाम इस सूची में सम्मिलित हों, को विहित मध्यस्थता प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा ।

(तीन)जिला एवं सत्र न्यायाधीश तत्पश्चात् उच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को सम्यक रूप से सूचित करने के पश्चात् मध्यस्थता प्रशिक्षण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले व्यक्तियों के मध्य से एक मध्यस्थता पैनल तैयार करेंगे। ऐसे व्यक्तियों, जिनके नाम पैनल में सम्मिलित हों, को अनुसूची-एक में दिये गये प्रपत्र में अन्तर्विष्ट आवेदन जमा करना होगा;

परन्तु यह कि इस नियमावली की किसी बात से जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा पहले ही तैयार किये गये पैनल की निरन्तरता प्रभावित नहीं होगी; किन्तु ऐसे मध्यस्थों, जिनके नाम पैनल में सम्मिलित किये गये हों, को उक्त नियमावली के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर विहित मध्यस्थता प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा जिसमें विफल होने पर उनके नाम उक्त पैनल से स्वत: निकाल दिये गये समझे जायेंगे।

(चार) प्रत्येक पैनल में सम्मिलित मध्यस्थ की पदावधि, पैनल बनाये जाने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से रिपोर्ट मंगाने के पश्चात्, मध्यस्थों की पदावधि में अग्रतर तीन वर्ष की अवधि के लिए वृद्धि कर सकते हैं। बढायी गयी अवधि के समाप्त होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, समय-समय पर उसी रीति से पदावधि में वृद्धि कर सकते हैं । पदावधि में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को सम्यक रूप से सूचित किया जायेगा;

(पांच) पैनल में अन्तर्विष्ट किये गये मध्यस्थों के नाम जिला न्यायालय और दूरस्थ न्यायालयों के स्वीकृत बार एसोसिएशनों के सूचना पटटों पर सम्यक् रूप से प्रकाशित किये जायेंगे;

(छ:) ऐसे सम्बन्धित न्यायाधीशों का एक मध्यस्थता पैनल होगा जो मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति के 40 घण्टे का प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो, जिसमें उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा और उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य सम्मिलित होंगे ।

4- **<u>मध्यस्थ का नामनिर्देशन:</u>**

(एक) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सचिव, नियम 3 के अधीन, पक्षकारों के मध्य मध्यस्थता करने के लिये बनाये गये मध्यस्थता पैनल से मध्यस्थ/ मध्यस्थों को नामनिर्दिष्ट करेगा;

परन्तु यह कि ऐसे किसी व्यक्ति, जो विवाद के विषय-वस्तु से हितबद्ध या सम्बद्ध हो या ऐसे किसी पक्षकार या ऐसे व्यक्तियों से सम्बद्ध हो, जो उनका प्रतिनिधित्व करते हों, को जब तक कि लिखित रूप में उक्त समस्त पक्षकारों द्वारा ऐसी आपत्ति को अधिव्यक्त न कर दिया जाय, मध्यस्थ के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किया जायेगा; परन्तु यह और कि ऐसे किसी विधि व्यवसायी, जो उन्हीं पक्षकारों के मध्यवाद या किसी अन्य वाद या कार्यवाहियों में किसी पक्षकार के लिये उपस्थित हुआ हो या हो रहा हो, को मध्यस्थ के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किया जायेगा।

(दो) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सचिव, नियम 3 में निर्दिष्ट मध्यस्थों के पैनल में से किसी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करते समय, वाद में अन्तर्ग्रस्त किसी विशिष्ट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

श्रेणी के विवाद का समाधान करने के लिए मध्यस्थ की उपयुक्तता पर विचार करेगा और उनको अधिमान प्रदान करेगा, जिन्होंने सफलतापूर्वक मध्यस्थता का कीर्तिमान स्थापित किया हो या जो ऐसे मामलों में विशेष अर्हताएं या अनुभव धारित करते हों।

5- **<u>पैनल में सम्मिलित किये जाने वाले व्यक्तियों की अनर्हताएं:</u>**

निम्नलिखित व्यक्ति, मध्यस्थों के रूप में पैनल में सम्मिलित किये जाने के लिये पात्र नहीं होंगे:-

(एक) ऐसा कोई व्यक्ति, जो दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया हो या विकृतचित्त का घोषित किया गया हो;

(दो) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके विरूद्ध किसी न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया हो;

(तीन) ऐसा कोई व्यक्ति, जो नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अपराध के लिये किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया हो;

(चार) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारम्भ की गयी हों या फलस्वरूप दण्डित किया गया हो; और

(पांच) ऐसे अन्य श्रेणी के व्यक्ति, जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित किया जाय ।

6- **<u>मध्यस्थता संचालित करने के लिए स्थान :</u>**

मध्यस्थ (मध्यस्थगण) निम्नलिखित में से किसी स्थान पर मध्यस्थता संचालित करेगा/करेंगे:-

(एक) आनुकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र/लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत का स्थान; या

(दो) मध्यस्थता संचालित करने के प्रयोजनार्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा न्यायालय परिसर के भीतर चिन्हित कोई स्थान ।

7- **<u>कतिपय तथ्यों को प्रकट करने के निमित्त मध्यस्थ का कर्तव्य:</u>**

(एक) जब कोई मध्यस्थ, नियम 4 के अधीन नामनिर्दिष्ट किया जायेगा तब वह सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अपनी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के सम्बन्ध में न्यायसंगत संदेह उत्पन्न करने वाली किन्हीं परिस्थितियों के सम्बन्ध में लिखित रूप में प्रकट करेगा;

(दो) प्रत्येक मध्यस्थ, मध्यस्थता की कार्यवाहियां जारी रहने के दौरान खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी परिस्थिति के विद्यमान होने के सम्बन्ध में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अविलम्ब लिखित रूप में प्रकट करेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8- **<u>किसी मध्यस्थ के नामनिर्देशन को रद्द किया जाना:</u>**

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सचिव, किसी मध्यस्थ के नामनिर्देशन को रद्द कर सकता है और नियम 3 के अधीन तैयार किये गये पैनल से अन्य मध्यस्थ को नामनिर्दिष्ट कर सकता है और जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सूचित कर सकता है;

(एक) नियम 7 के अधीन मध्यस्थ द्वारा सूचना उपलब्ध कराये जाने पर; या

(दो) सम्यक रूप से सत्यापित किये जाने के पश्चात् किसी अन्य न्यायसंगत कारक से ।

9- **<u>पैनल से नाम (नामों) का निकाला जाना:</u>**

नियम 3 में निर्दिष्ट पैनल में सम्मिलित किये गये किसी मध्यस्थ का नाम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा निकाला जा सकता है, यदि:-

(एक) वह किसी कारणवश पैनल से त्यागपत्र दे देता है या उससे प्रत्याहृत हो जाता है; या

(दो) वह दिवालिया या विकृतचित्त का घोषित कर दिया जाता है; या

(तीन) वह ऐसा व्यक्ति हो जिसके विरूद्ध किसी न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हो; या

(चार) वह ऐसा व्यक्ति हो जिसे नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अपराध के लिये किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया गया हो; या

(पांच) वह ऐसा व्यक्ति हो जिसके विरूद्ध समुचित अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुशासनिक कार्यवाहियाँ प्रारम्भ की गयी हों; या फलस्वरूप दण्डित किया गया हो; या

(छ:) वह, मध्यस्थता प्रक्रियायें जारी रहने के दौरान ऐसा आचरण प्रदर्शित या संप्रदर्शित करता है जो किसी मध्यस्थ के लिए अशोभनीय हो; या

(सात)जिला एवं सत्र न्यायाधीश का सूचना प्राप्त करने पर या अन्यथा रूप से समाधान हो जाने पर कि पैनल में मध्यस्थ का नाम जारी रखना वांछनीय नहीं है;

परन्तु यह कि या तो खण्ड (छ:) या (सात) के अधीन मध्यस्थ का नाम निकालने से पूर्व, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सम्बन्धित मध्यस्थ को एक अवसर प्रदान करने के पश्चात् एक तर्कसंगत आदेश पारित करेगा ।

10- **<u>न्यायालय द्वारा मध्यस्थता केन्द्र को प्रस्तुत किया जाने वाला वाद-पत्रक:</u>**

अनुसूची-2 में दिये गये प्रपत्र में न्यायालय द्वारा मध्यस्थता केन्द्र को अनुसूची-2 में दिये गये प्रपत्र में एक वाद पत्रक प्रस्तुत किया जायेगा।

11- **<u>मध्यस्थता संचालित करने की प्रक्रिया :</u>**

(एक)मध्यस्थ, मध्यस्थता का संचालन करने के लिए मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति, उच्चतम न्यायालय, भारत द्वारा यथा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करेगा;

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(दो) मध्यस्थता केन्द्र, न्यायालय द्वारा मध्यस्थता हेतु वाद निर्दिष्ट किये जाने के सम्बन्ध में पक्षकारों और उनके वकीलों को अनुसूची 3 में यथा विहित लिखित नोटिस जारी करेगा;

(तीन) पक्षकारों को अनुसूची-4 में यथा अन्तर्विष्ट सूचना-पत्रक प्रस्तुत किया जायेगा;

(चार) मध्यस्थ, पक्षकारों के परामर्श से प्रत्येक मध्यस्थता सत्र की समय सारणी, दिनांक, समय और उसका स्थान नियत करेगा;

(पांच) मध्यस्थ, पक्षकारों के साथ संयुक्त या पृथक सत्र संचालित कर सकता है;

(छः) प्रत्येक पक्षकार मध्यस्थ को अभिवचनों या दस्तावेज की प्रतियाँ या ऐसी अन्य सूचना उपलब्ध करायेगा जैसा कि मध्यस्थों द्वारा समाधान किये जाने वाले बिन्दुओं के सम्बन्ध अपेक्षित हो;

परन्तु यह कि जहां मध्यस्थ की राय हो कि किसी मूल दस्तावेज का परीक्षण किया जाना अपेक्षित है तो न्यायालय, ऐसी अनुज्ञा प्रदान कर सकता है;

(सात) प्रत्येक पक्षकार, मध्यस्थ को ऐसी अन्य सूचना उपलब्ध करायेगा जो मध्यस्थों द्वारा समाधान किये जाने वाले बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपेक्षित हो।

12- **<u>मध्यस्थ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा आबद्ध नहीं होगा:-</u>**

मध्यस्थ, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के उपबन्धों द्वारा आबद्ध नहीं होगा, किन्तु निष्पक्षता और न्याय के सिद्धान्तों के साथ-साथ मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति उच्चतम न्यायालय, भारत द्वारा निर्धारित प्रक्रिया द्वारा मार्गदर्शित होगा और उसे पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों, व्यापारिक उपयोग, यदि कोई हो और विवाद की प्रकृति के प्रति भी सम्यक रूप से ध्यान देना होगा ।

13- **<u>सत्रों में पक्षकारों की उपस्थिति:</u>**

(एक) (क) भारत में निवास करने वाले पक्षकार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे या उनका प्रतिनिधित्व मध्यस्थ द्वारा निर्धारित किये गये सत्रों में उनके मुख्तारनामा धारकों द्वारा किया जा सकता है;

(ख) मध्यस्थ द्वारा निर्धारित सत्रों में भारत में निवास न करने वाले पक्षकारों का प्रतिनिधित्व उनके वकीलों या मुख्तारनामा धारकों द्वारा किया जा सकता है;

(दो) यदि कोई पक्षकार, विमर्शित या जानबूझकर किये गये कृत्य के कारण मध्यस्थ द्वारा निर्धारित किये गये सत्र में उपस्थित होने में विफल रहता है तो अन्य पक्षकार न्यायालय में आवेदन कर सकता है, जहाँ वाद या कार्यवाही लम्बित हो और न्यायालय, तथ्यों और वाद की परिस्थितियों को सम्यक् रूप से ध्यान में रखते हुये समुचित निदेश जारी कर सकता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

14- मध्यस्थ की भूमिका:

मध्यस्थ:

(एक) पक्षकारों द्वारा विवाद के स्वैच्छिक समाधान को सुगम बनाने का प्रयास करेगा और प्रत्येक पक्षकार के दृष्टिकोण को अन्य पक्षकार को संसूचित करेगा;

(दो) मुद्दों की पहचान करने और भ्रान्तियों को स्पष्ट करने में पक्षकारों की सहायता करेगा;

(तीन)पक्षकारों को सूचित करेगा कि मध्यस्थ केवल पक्षकारों को समझौता पर पहुँचने में सुगमता प्रदान कर सकता है;

(चार) प्राथमिकताओं के क्षेत्र को स्पष्ट करेगा, समझौता के क्षेत्रों की खोज करेगा और विवाद समाधान करने के प्रयास सृजित करेगा;

(पांच) इस बात पर जोर देगा कि किसी समझौता पर पहुंचना पक्षकारों का दायित्व है; और

(छः) मध्यस्थ, पक्षकारों पर समझौता की कोई शर्त अधिरोपित नहीं करेगा ।

15- **मध्यस्थता पूरा करने की समय सीमा:**

मध्यस्थ के समक्ष पक्षकारों की प्रथम उपस्थिति के लिए नियत दिनांक से साठ दिन की समाप्ति पर मध्यस्थता समाप्त हो जायेगी तथापि असाधारण परिस्थितियों में पक्षकारों की सहमति से समय सीमा में तीस दिन तक की वृद्धि की जा सकती है, तत्पश्चात् यदि दोनों पक्षकारों की सहमति हो तो निर्दिष्टकर्ता न्यायाधीश की अनुज्ञा से, समय में नब्बे दिन के पश्चात् वृद्धि की जा सकती है ।

16- **सूचना की गोपनीयता, प्रकटीकरण और उसकी अग्राह्यता:**

(एक) जब कोई मध्यस्थ किसी पक्षकार से विवाद से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करता है, जिसे वह गोपनीय मानता है, तब वह प्रथम पक्षकार की लिखित अनुज्ञा से ही ऐसी सूचना का सारांश अन्य पक्षकार को प्रकटित कर सकता है;

(दो) जब कोई पक्षकार किसी मध्यस्थ को इस शर्त से कि इसे गोपनीय रखा जाय, के अध्यधीन कोई सूचना देता है तब मध्यस्थ उस सूचना का प्रकटीकरण अन्य पक्षकार को नहीं करेगा;

(तीन)मध्यस्थ, मध्यस्थता के प्रक्रम के दौरान प्राप्त कोई सूचना, दस्तावेज या रिपोर्ट न तो स्वेच्छा से प्रकट करेगा और न ही उसे प्रकट करने के लिये बाध्य किया जायेगा और न ही मध्यस्थ को यह प्रकट करने के लिए बाध्य किया जायेगा कि मध्यस्थता में सम्मिलित न होने के लिए मध्यस्थता के दौरान किसी पक्षकार को क्या हुआ;

(चार) पक्षकार निम्नलिखित के सम्बन्ध में गोपनीयता बनाये रखेंगे:-

(क) मध्यस्थता की कार्यवाहियों के प्रक्रम के दौरान पक्षकारों द्वारा व्यक्त किये गये दृष्टिकोण;

(ख) मध्यस्थता के दौरान प्राप्त किये गये दस्तावेज या पक्षकारों या मध्यस्थों द्वारा दी गयी अन्य टिप्पणियाँ, आलेख या सूचना, जिन्हें गोपनीय माने जाने की स्पष्ट रूप से अपेक्षा की गयी है;

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(ग) मध्यस्थ द्वारा किये गये प्रस्ताव या अभिव्यक्त किये गये दृष्टिकोण;

(घ) मध्यस्थता की कार्यवाहियों के प्रक्रम के दौरान किसी पक्षकार द्वारा की गयी स्वीकारोक्ति (स्वीकारोक्तियां);

(ड•) यह तथ्य कि किसी पक्षकार ने किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त की है या नहीं व्यक्त की है;

(पाँच) मध्यस्थता कार्यवाहियों की श्रब्य एवं दृश्य अभिलेखन सहित कोई अभिलेखन नहीं किया जायेगा ।

17- **<u>निजता:</u>**

मध्यस्थता सत्र निजी होते हैं जिनमें केवल सम्बन्धित पक्षकार या उनके वकील या मुख्तारनामा धारक ही उपस्थित हो सकते हैं । अन्य व्यक्ति केवल पक्षकारों की सहमति से और मध्यस्थ की अनुज्ञा से कार्यवाहियों में उपस्थित हो सकते हैं ।

18- **<u>उन्मुक्ति:</u>**

कोई मध्यस्थ किसी सिविल या दांडिक कार्यवाही हेतु मध्यस्थता की कार्यवाहियों के दौरान सद्भावनापूर्वक कृत या लोप किये गये किसी बात के लिये उत्तरदायी होगा और न ही मध्यस्थ को किसी पक्षकार द्वारा प्राप्त सूचना या कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में अथवा मध्यस्थता कार्यवाहियों के दौरान तैयार किये गये या दर्शाये गये आलेखों या अभिलेखों के सम्बन्ध में परीक्षण करने हेतु किसी न्यायालय में उपस्थित होने हेतु वाद या कार्यवाही के लिये समन किया जायेगा ।

19- **<u>मध्यस्थ और न्यायालय के मध्य पत्रव्यवहार:</u>**

(एक) इस नियम के खण्ड (दो) और (तीन) में यथा उपबन्धित के सिवाय, मध्यस्थ और न्यायालय के मध्य कोई पत्र व्यवहार नहीं होगा;

(दो) यदि मध्यस्थ और न्यायालय के मध्य कोई पत्र व्यवहार आवश्यक समझा जाय, तो यह लिखित में होगा और उसकी प्रतियां पत्रकारों या उनके वकीलों या मुख्तारनामा धारकों को प्रदान की जायेंगी;

(तीन) मध्यस्थ और न्यायालय के मध्य पत्र व्यवहार निम्नलिखित तक सीमित होगा:-

(क) पक्षकारों के मध्य विवाद का समझौता; या

(ख) पक्षकारों के मध्य समझौता करने में विफलता; या

(ग) मध्यस्थता के माध्यम से समझौता करने के लिए पक्षकारों की अनिच्छा ।

20- **<u>समझौता करार:</u>**

(एक) जहाँ वाद में समस्त विवाद्यकों या कतिपय विवाद्यकों या किसी अन्य कार्यवाहियों के सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य कोई करार किया जाता है, वहाँ उक्त करार लिखित रूप में किया जायेगा और उस पर पक्षकारों या मुख्तारनामा धारकों द्वारा हस्ताक्षर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

किया जायेगा। यदि वकीलों ने पक्षकारों का प्रतिनिधित्व किया हो तो वे अपने-अपने पक्षकारों के हस्ताक्षर को अभिप्रमाणित करेंगे। उक्त करार यथाशक्य अनुसूची पांच के अनुरूप होगा;

(दो) इस प्रकार हस्ताक्षरित तथा अभिप्रमाणित करार ऐसे मध्यस्थ को प्रस्तुत किया जायेगा जो स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित आवरणपत्र के साथ उसे उस न्यायालय को अग्रसारित करेगा जिसमें वाद या अन्य कार्यवाही विचाराधीन हो;

(तीन) जहाँ नियम 15 में निर्धारित समय के भीतर पक्षकारों के मध्य कोई करार न हुआ हो अथवा जहाँ मध्यस्थ का यह विचार हो कि कोई समझौता सम्भव नहीं है वहां वह तत्सम्बन्ध में लिखित रूप में न्यायालय को सूचित करेगा;

(चार) मध्यस्थ ऐसा दिनांक नियत करेगा जिस दिनांक को पक्षकार सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं और उस अवधि के भीतर उसे अनुसूची छः के अनुसार न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा ।

21- **<u>मध्यस्थ की फीस:</u>**

इस नियमावली के प्रारम्भ होने से प्रभावी मध्यस्थों की फीस निम्नानुसार होगी:-

(एक) सफल मध्यस्थता पर, कोई मध्यस्थ रू 3,000/- के भुगतान के लिये हकदार होगा;

(दो) यदि पक्षकार किसी समझौते पर नहीं पहुँचते हैं, किन्तु प्रत्येक एक घण्टे के कम से कम तीन सत्र आयोजित किए गए हों, तो कोई मध्यस्थ 1,500/- के भुगतान के लिये हकदार होगा;

परन्तु यह कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति समय-समय पर फीस संरचना में संशोधन कर सकते हैं ।

22- **<u>मध्यस्थ द्वारा अनुसरण किये जाने वाले आधार:</u>**

<u>मध्यस्थ:</u>

(एक) इस नियमावली का सख्ती से और सम्यक तत्परता से अनुपालन करेगा;

(दो) ऐसा कोई क्रियाकलाप या आचरण नहीं करेगा जिसे किसी मध्यस्थ के लिये युक्तियुक्त पूर्वक अशोभनीय माना जाय;

(तीन) मध्यस्थता प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता को बनाये रखेगा;

(चार) यह सुनिश्चित करेगा कि मध्यस्थता में सम्मिलित पक्षकारों को निष्पक्ष रूप से सूचित किया जाय और उनमें प्रक्रिया के प्रक्रियागत पहलुओं की पर्याप्त समझ हो;

(पाँच) स्वयं समाधान करेगा/करेगी कि वह सौंपे गये कार्य को व्यावसायिक रूप में ग्रहण करने और उसे पूर्ण करने के लिए अर्ह है;

(छः) निष्पक्षता को संभाव्य रूप में प्रभावित करने वाले ऐसे किसी हित या सम्बन्ध को प्रकट करेगा जिसमें पक्षपात या पूर्वाग्रह परिलक्षित हो;

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(सात) पक्षकारों को संसूचित करने के दौरान किसी अशिष्टता से बचेगा;

(आठ) मध्यस्थ के पद के लिए स्थापित विश्वास और गोपनीयता के सम्बन्ध के प्रति निष्ठावान रहेगा;

(नौ) इस बात की मान्यता प्रदान करेगा कि मध्यस्थता पक्षकारों द्वारा आत्म अवधारण के सिद्धान्तों पर आधारित है और यह कि मध्यस्थता प्रक्रिया समझौता पर पहुँचने हेतु पक्षकारों की योग्यता पर निर्भर होती है;

(दस) गोपनीयता के सम्बन्ध में पक्षकारों की युक्तियुक्त प्रत्याशाओं को बनाए रखेगा; तथा

(ग्यारह) वचन या प्रत्याभूतियाँ प्रदान करने से बचेगा।

23- निरसन:

उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया मध्यस्थता नियमावली, 2009 इस नियमावली के प्रवृत्त होने के दिनांक से निरसित हुई मानी जायेगी ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुसूची--एक

मध्यस्थता और सुलह केन्द्र

(जिला)

(मध्यस्थ के रूप में पैनल में सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन)

1. नाम:
2. पिता का नाम:
3. पता:
   (क) कार्यालय:
   (ख) निवास:
4. दूरभाष संख्या:
   (क) कार्यालय:
   (ख) निवास:
5. मोबाइल संख्या:
   (क) कार्यालय:
   (ख) निवास:
6. ई-मेल आईडी:
7. शैक्षणिक अर्हताएं:
8. व्यावसायिक अर्हताएं और अनुभव:
9. तकनीकी अनुभव, यदि कोई हो:
10. मध्यस्थता में विशेष अर्हता या अनुभव, यदि कोई हो:
11. बार काउंसिल नामांकन संख्या और दिनांक:
    (केवल अधिवक्ताओं के लिए लागू)
12. क्या आपके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है?
13. क्या आपको किसी नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया है?
14. क्या आपको दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है या विकृतचित्त का होना घोषित किया गया है?
15. क्या आपके विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कोई अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारम्भ की गयी हैं, या क्या आपको ऐसी अनुशासनिक कार्यवाहियों में दण्डित किया गया है? :

मैं..... एतदद्वारा निवेदन करता हूँ कि मैं..... न्यायालय में मध्यस्थ के रूप में पैनल में रखे जाने हेतु इच्छुक हूँ और उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली, 2021 के नियम 3 के अधीन पैनल में रखे जाने के लिये अपनी सहमति देता हूँ । यह आश्वासन देता हूँ कि मध्यस्थ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान उक्त नियमावली के नियम 22 में यथा विहित आचारों का अनुसरण करूंगा । मैं, भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थ प्रशिक्षण ग्रहण करने का वचन भी देता हूँ । मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

पूर्ण हस्ताक्षर:

दिनांक:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुसूची--दो

मध्यस्थता और सुलह केन्द्र

(जिला)

(न्यायालय द्वारा केन्द्र को प्रस्तुत वाद-पत्र)

1. निर्दिष्ट किये जाने का दिनांक:
2. मामला निर्दिष्ट करने वाले पीठासीन अधिकारी / निर्दिष्टकर्ता / न्यायाधीश का नाम:
3. वाद संख्या:
4. वाद की श्रेणी:
5. पक्षकारों के नाम:
6. पक्षकारों से सम्पर्क की सूचना:
7. वकीलों के नाम और उनसे सम्पर्क की सूचना:
8. वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों की सूची:

(सम्बन्धित न्यायालय के रीडर द्वारा तैयार और हस्ताक्षरित किया जायेगा)

पूर्ण हस्ताक्षर:

दिनांक:

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुसूची--तीन

मध्यस्थता और सुलह केन्द्र

(जिला)

(पक्षकारों और उनके वकीलों के लिये लिखित सूचना)

1. मध्यस्थता के लिए न्यायालय द्वारा वाद को निर्दिष्ट किया जाना:
2. निर्दिष्ट किये जाने का दिनांक:
3. मध्यस्थता की प्रकिया के सम्बन्ध में सूचना:
4. मध्यस्थ का नाम:
5. मध्यस्थता का दिनांक, समय और स्थान:

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

पूर्ण हस्ताक्षर:

दिनांक:

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुसूची--चार

मध्यस्थता और सुलह केन्द्र

(जिला)

(पक्षकारों को प्रस्तुत सूचना पत्र)

वाद का नाम:

वाद की संख्या:

मध्यस्थ का नाम:

1. यह मध्यस्थता सौहार्दपूर्ण रीति से विवाद का समाधान करते हुए एक स्वीकार्य संकल्प पर पहुँचने के प्रयोजन से आयोजित की जा रही है । पक्षकारों को इसमें सदभावनापूर्वक सहभागिता करनी चाहिए ।

2. मध्यस्थ, पक्षकारों को मध्यस्थता सत्र के दिनांक, समय और स्थान के सम्बन्ध में सूचित करेगा ।

3. (क) भारत में निवास कर रहे पक्षकार:

(एक) मध्यस्थता सत्र में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने, या

(दो) विवाद का समझौता करने हेतु प्राधिकार सहित अपने द्वारा बनाये गये अटर्नी के द्वारा मध्यस्थता सत्रों में प्रतिनिधित्व किये जाने के लिये सहमत हैं ।

(जो प्रयोज्य न हो उसे काट दें)

(ख) भारत के अनिवासी पक्षकार, विवाद का समझौता करने हेतु प्राधिकार सहित अपने द्वारा बनाये गये अटर्नी या वकील के द्वारा मध्यस्थता सत्रों में प्रतिनिधित्व किये जाने के लिये सहमत हैं ।

4. मध्यस्थ उस सूचना को गोपनीय रखेगा जिसकी पक्षकारों द्वारा उससे गोपनीय रखे जाने का अनुरोध किया जाय ।

5. मध्यस्थता की कार्यवाहियों के प्रक्रम के दौरान, किसी पक्षकार द्वारा व्यक्त या दिये गये दृष्टिकोण या सुझावों या स्वीकारोक्तियों को, मध्यस्थ द्वारा किये गये प्रस्तावों को और किसी पक्षकार द्वारा स्वीकृति के संकेतों को किसी कार्यवाही में पक्षकरों द्वारा साक्ष्य के रूप में न तो लिया जाएगा और न प्रस्तुत किया जाएगा ।

6. पक्षकार सहमत है कि विवाद से किसी भी रूप में सम्बन्धित किसी कार्यवाही में, जो कि मध्यस्थता का विषय हो, मध्यस्थ को गवाह या विशेषज्ञ के रूप में नही बुलाया जायेगा ।

7. यदि पक्षकार किसी समझौता पर पहुंचते हैं, तो उन्हें इस आशय के एक करार पर हस्ताक्षर करना होगा और इसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा ।

8. उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है और जब तक कि पक्षकार किसी समझौता पर नहीं पहुंचते हैं और करार पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तब तक कोई भी पक्षकार इस प्रक्रिया को छोडने के लिए स्वतंत्र है ।

9. यदि पक्षकार किसी समझौता पर पहुँचने में विफल रहते हैं तो उक्त मामला वापस न्यायालय को निर्दिष्ट कर दिया जाएगा ।

(प्रत्येक पक्षकार और उनके प्रतिनिधि वकील द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षर किया जाएगा)

पूर्ण हस्ताक्षर:

दिनांक:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुसूची--पांच

मध्यस्थता और सुलह केन्द्र

(जिला)

(समझौता करार)

यह समझौता करार आज दिनांक.....को श्री.....

जिनकी पहचान श्री..... अधिवक्ता द्वारा की गयी और श्री.....

जिनकी पहचान श्री..... अधिवक्ता द्वारा की गयी, के मध्य किया गया ।

1. इसके पक्षकारों के मध्य विवाद और मतभेद उत्पन्न हो गये थे और दिनांक .....

(संस्थित करने का दिनांक) को..... (सम्बन्धित न्यायालय का विवरण दीजिये) के समक्ष..... (वाद संख्या) दायर की गयी थी ।

2. श्री..... (सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी का नाम और पदनाम) द्वारा दिनांक ..... को पारित आदेश द्वारा उक्त मामला निर्दिष्ट किया गया था ।

3. मध्यस्थता की प्रक्रिया के दौरान दिनांक ..... से दिनांक ..... तक बैठकें हुयी और पक्षकारगण ने उपरिउल्लिखित विवादों और मतभेदों को सुलझाने के लिए मध्यस्थ की सहायता से सौहार्दपूर्ण समाधान कर लिया है।

4. पक्षकारगण यहाँ पुष्टि करते हैं और घोषित करते हैं कि उन्होंने मध्यस्थ की उपस्थिति में स्वेच्छया और अपनी स्वतंत्र इच्छा से समझौता का करार किया है ।

5. निम्नलिखित समझौता इसके पक्षकारों के मध्य किया गया:

क.....

ख.....

ग.....

6. इस करार पर हस्ताक्षर करके पक्षकारगण यह बयान करते हैं कि ..... (वाद संख्या) के सम्बन्ध में एक दूसरे के विरूद्ध उनका अब कोई दावे या माँग नहीं रह गये हैं और मध्यस्थता की प्रक्रिया के माध्यम से इस सम्बन्ध में इसके पक्षकारों ने विवादों और मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटा लिया है।

पक्षकार (पक्षकारगण) का / के दिनांक सहित हस्ताक्षर

वकीलों के दिनांक सहित हस्ताक्षर

(अपेक्षानुसार प्रपत्र में परिवर्द्धन/परिवर्तन अनुज्ञात हैं)

हस्ताक्षर:

दिनांक:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुसूची--छ:

मध्यस्थता और सुलह केन्द्र

(जिला)

न्यायालय की रिपोर्ट

1. न्यायालय वाद संख्या:
2. ..... द्वारा निर्दिष्ट किया गया;
3. निर्दिष्ट करने का दिनांक:
4. मध्यस्थ (क)
   (ख)
   (ग)
5. मध्यस्थता सत्रों का / के दिनांक:
   (एक) मध्यस्थता पूर्ण / करार संलग्न
   या
   (दो) मध्यस्थता पूर्ण / कोई समझौता नहीं हुआ है
   या
   (तीन) पक्षकार मध्यस्थता के इच्छुक नहीं है ।
6. पक्षकारों को निदेश दिया गया है कि वे..... को न्यायालय में उपस्थित हों ।

मध्यस्थ (मध्यस्थगण) का हस्ताक्षर: न्यायालय के आदेश से

दिनांक: ( )

महानिबन्धक

आज्ञा से,

(प्रमोद कुमार श्रीवास्तव-।।)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-10/2021/195(1)/सात-न्याय-2-2021, तददिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश राजकीय प्रेस ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की एक अंग्रेजी की प्रमाणित प्रति सहित इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को उ0प्र0 असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) के संस्करण में दिनांक 23 मार्च, 2021 की तिथि में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा मुद्रित अधिसूचना की 30 प्रतियां इस अनुभाग को भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अतुल सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-10/2021/195(2)/सात-न्याय-2-2021, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को उनके दिनांक पत्रांक-17409/2019/J.R.(J)(I), इलाहाबाद दिनांक 29.11.2019 के संदर्भ में।

(2) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

(3) अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।

(4) न्याय अनुभाग-9 (बजट), उत्तर प्रदेश शासन।

(5) विधायी अनुभाग-1/भाषा अनुभाग-5/राजस्व अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

(6) गार्ड बुक हेतु।

आज्ञा से,

(अतुल सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
NYAYA ANUBHAG-2 (ADHINASTHA NYAYALAYA)
No. 10/2021/195/VII-NYAYA-2-2021-31G/08
Lucknow: Dated- 23 March, 2021

NOTIFICATION

In exercise of the Rule making power conferred under Part X of the Code of Civil Procedure, 1908 and clause (d) of sub-section (2) of Section 89 of the said Code, and all other powers enabling in this behalf, the High Court of Judicature at Allahabad makes the following Rules.

The Uttar Pradesh Civil Procedure (District Courts) Mediation Rules, 2021

1- Short title and commencement:

These Rules may be called the **Uttar Pradesh Civil Procedure (District Courts) Mediation Rules, 2021**.

They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2- Extent:

These Rules shall apply to mediation referred to the Mediation and Conciliation Centre set up in the District in respect of any suit or other proceeding pending in any Court subordinate to the High Court of Judicature at Allahabad.

3- Panel of Mediators:

(i) The District & Sessions Judge for the purpose of preparing a panel of mediators shall invite applications from:

(a) Such advocates having at least 10 years of standing at the Bar;

(b) Retired District & Sessions Judges/Additional District & Sessions Judges;

(c) Professionals/Experts having at least 15 years standing in their respective fields and conversant with law in the field.

The applicants will have to furnish an undertaking that they will undergo the mediator's training as prescribed by the Mediation and Conciliation Project Committee of the Supreme Court of India.

(ii) The District & Sessions Judge shall after evaluating the credentials, prepare a list of eligible applicants. Persons whose names are included in this list shall undergo the prescribed mediators' training.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(iii) The District & Sessions Judge shall then prepare a panel of mediators after due intimation to the High Court and the Uttar Pradesh State Legal Services Authority from amongst the persons who have successfully completed the mediators' training. Persons whose names are included in the panel shall have to submit the application contained in proforma set out in Schedule-I;

Provided that nothing in this Rule shall effect the continuance of the panel already drawn by the District & Sessions Judge, but such mediators whose names are included in the panel shall have to undergo the prescribed mediators' training within one year from the date of publication of the Rules in the official Gazette, failing which their names shall automatically stand deleted from the panel.

(iv) The term of the each empanelled mediator shall be three years from the date of empanelment. The District & Sessions Judge may, after calling for a report from the Secretary, District Legal Services Authority, extend the term of the mediators for a further period of three years. On expiry of the extended period the District & Sessions Judge may extend the term from time to time in the like manner. Due intimation shall be given about the extension to the High Court and the Uttar Pradesh State Legal Services Authority.

(v) The names of the mediators contained in the panel shall be duly published on the notice boards of the approved Bar Associations of the District Court and Outlying Courts.

(vi) There shall also be a panel of Mediators comprising members of the U.P. Nyayik Sewa and U.P. Higher Judicial Services in the Judgeship concerned who have completed 40 hours of training of MCPC.

4- Nomination of Mediator:

(i) The Secretary of the District Legal Services Authority shall nominate mediator/mediators from the panel of mediators drawn under Rule 3 for mediating between parties:

Provided that no person who is interested or connected with the subject-matter of dispute or is related to any party or to those who represent them, unless such objection is waived by all the parties in writing, shall be nominated as a mediator;

Provided further that no legal practitioner who has or is appearing for any of the parties in the suit or any other suit or proceedings between the same parties shall be nominated as a mediator.

(ii) The Secretary of the District Legal Services Authority shall, while nominating any person from the panel of mediators referred to in Rule 3, consider the suitability of the mediator

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

for resolving a particular class of dispute involved in the suit and shall give preference to those who have proven record of successful mediation or who have special qualifications or experience in such matters.

5- Disqualification of persons to be empanelled:

The following persons shall not be eligible for being empanelled as mediators:-

(i) any person who has been adjudged insolvent or is declared to be of unsound mind;

(ii) any person against whom a charge sheet has been submitted in a Court;

(iii) any person who has been convicted by a Court for an offence involving moral turpitude;

(iv) any person against whom disciplinary proceedings have been initiated by the disciplinary authority or have resulted in punishment; and

(v) such other category of persons as may be notified by the High Court.

6- Venue for conducting mediation:

The mediator(s) shall conduct the mediation at any of the following places:

(i) Alternative Dispute Resolution Centre/venue of Lok Adalat or Permanent Lok Adalat; or

(ii) Any place identified by the District & Sessions Judge within the Court premises for the purpose of conducting mediation.

7- Duty of mediator to disclose certain facts:

(i) When a mediator is nominated under Rule 4, he shall disclose in writing to the Secretary, District Legal Service Authority, any circumstances likely to give rise to a justifiable doubt as to his independence or impartiality;

(ii) Every mediator shall also throughout the continuance of mediation proceedings, without delay, disclose to the Secretary, District Legal Service Authority, in writing about the existence of any of the circumstances referred to in clause (i).

8- Cancellation of nomination of a mediator:

The Secretary of the District Legal Services Authority may cancel the nomination of a mediator and nominate another mediator from the panel drawn under Rule-3, and intimate the District & Sessions Judge:

(i) upon information furnished by the mediator under Rule 7; or

(ii) for any other justifiable cause after due verification.

9- Deletion of name(s) from the Panel:

The name of a mediator included in the panel referred to in Rule 3, may be deleted by the District & Sessions Judge, if:-

(i) He resigns or withdraws from the panel for any reason; or

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(ii) He is declared insolvent or of unsound mind; or

(iii) He is a person against whom a charge sheet has been submitted in a Court; or

(iv) He is a person who has been convicted by a Court for an offence involving moral turpitude; or

(v) He is a person against whom disciplinary proceedings have been initiated by the appropriate disciplinary authority or have resulted in punishment; or

(vi) He exhibits or displays conduct during the continuance of the mediation proceedings, which are unbecoming of a mediator; or

(vii) The District & Sessions Judge upon receipt of information or otherwise is satisfied that it is not desirable to continue the name of the mediator in the panel;

Provided that before deleting the name of the mediator either under clause (vi) or (vii), the District & Sessions Judge shall pass a reasoned order after providing an opportunity to the mediator concerned.

10- <u>Case sheet to be furnished by the Court to the Mediation Centre:</u>

A Case Sheet shall be furnished by the Court to the Mediation Centre in the proforma set out in Schedule-II.

11- <u>Procedure for conducting Mediation:</u>

(i) The Mediator shall adhere to such procedure as is laid down by the Mediation & Conciliation Project Committee, Supreme Court of India, for conducting mediation.

(ii) The Mediation Centre shall issue written notice to the parties and their counsel about the referral of the case by the Court for mediation as prescribed in Schedule III;

(iii) The parties shall be furnished an information sheet as contained in Schedule IV;

(iv) The mediator shall fix, in consultation with the parties, a time schedule, the date, the time of each mediation session and its venue;

(v) The mediator may conduct joint or separate sessions with the parties;

(vi) Each party shall furnish to the mediator, copies of pleadings or document or such other information as may be required by the mediator in connection with the issues to be resolved;

Provided that where the mediator is of the opinion that any original document is required to be examined, the Court may grant such permission.

(vii) Each party shall furnish to the mediator such other information as may be required by the mediator in connection with the issues to be resolved.

12- <u>Mediator not be bound by The Evidence Act, 1872 or The Code of Civil Procedure, 1908:</u>

The mediator shall not be bound by the provisions of The Code of Civil Procedure 1908 or The Indian Evidence Act, 1872, but shall be guided by the principles of fairness and justice

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

as well as the procedure laid down by the Mediation and Conciliation Project Committee, Supreme Court of India and shall also have due regard to the rights and obligations of the parties, usages of trade, if any, and the nature of dispute.

13- Attendance of parties at sessions:

(i) (a) The parties residing in India shall be present personally or may be represented by their power of attorney holders at the sessions fixed by the mediator.

(b) The parties not residing in India may be represented by their Counsel or power of attorney holders at the sessions fixed by the mediator.

(ii) If a party fails to attend a session fixed by the mediator on account of deliberate or willful act, the other party may apply to the Court where the suit or proceeding is pending and the Court may issue appropriate directions, having due regard to the facts and circumstances of the case.

14- Role of mediator:

The mediator shall:

(i) attempt to facilitate voluntary resolution of the dispute by parties and communicate the view of each party to the other;

(ii) assist the parties in identifying issues and clarifying misunderstandings;

(iii) inform the parties that the mediator can only facilitate the parties in arriving at a settlement;

(iv) clarify the area of priorities, explore areas of compromise and generate options in an attempt to resolve the dispute;

(v) emphasize that it is the responsibility of the parties to arrive at a settlement; and

(vi) the mediator shall not impose any terms of settlement on the parties.

15- Time limit for completion of mediation:

The mediation shall stand terminated on the expiry of sixty days from the date fixed for the first appearance of the parties before the mediator. However, in exceptional circumstances, the time limit can be extended by thirty days with the consent of the parties. Thereafter, if both the parties agree, time may be extended beyond ninety days, with the permission of the Referral Judge.

16- Confidentiality, Disclosure and Inadmissibility of Information:

(i) When a mediator receives information concerning a dispute from any party which he believes to be confidential, he may disclose the substance of such information to the other party only with the written permission of the first party;

(ii) When a party gives information to a mediator subject to a specific condition that it be kept confidential, the mediator shall not disclose that information to the other party;

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(iii) The mediator shall not voluntarily divulge nor be compelled to divulge any information or document or report received during the course of mediation nor the mediator shall be compelled to disclose what transpired during mediation to any party not participating in the mediation;

(iv) The parties shall maintain confidentiality about:

(a) the views expressed by the parties during the course of mediation proceedings;

(b) documents obtained during mediation or other notes, drafts or information given by parties or mediators which have been expressly required to be treated as confidential;

(c) proposals made or views expressed by the mediator;

(d) admission(s) made by a party during the course of mediation proceedings;

(e) the fact that a party had or had not indicated willingness to accept a proposal.

(v) there shall be no recording, including audio or video of the mediation proceedings.

17- Privacy:

Mediation sessions are private and only the concerned parties or their counsel or power of attorney holders can attend. Other persons may attend the proceedings only with the consent of the parties and with the permission of the mediator.

18- Immunity:

No mediator shall be held liable for anything *bona-fide* done or omitted to be done during the mediation proceedings for any civil or criminal action, nor shall the mediator be summoned by any party to the suit or proceeding to appear in a Court of law to testify in regard to information received or action taken or in respect of drafts or records prepared or shown during the mediation proceedings.

19- Communication between the Mediator and the Court:

(i) There shall be no communication between the mediator and the Court, except as provided in clauses (ii) and (iii) of this Rule;

(ii) If any communication between the mediator and the Court is considered necessary, it shall be in writing and copies of the same shall be given to the parties or their counsel or power of attorney holders;

(iii) Communication between the mediator and the Court shall be limited to:

(a) the settlement of the dispute between the parties; or

(b) failure to arrive at a settlement between the parties; or

(c) unwillingness of the parties to arrive at a settlement through mediation.

20- Settlement agreement:

(i) Where an agreement is reached between the parties in regard to all the issues in the suit or some of the issues, or in any other proceeding, the same shall be reduced in writing

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

and shall be signed by the parties or their power of attorney holders. If counsel have represented the parties, they shall attest the signatures of their respective parties. The agreement shall be, as far as possible, in consonance with Schedule V;

(ii) The agreement so signed and attested shall be submitted to the mediator who shall, with a covering letter signed by him, forward the same to the Court in which the suit or other proceeding is pending;

(iii) Where no agreement is arrived at between the parties within the time stipulated in Rule 15 or where the mediator is of the view that no settlement is possible, he shall report the same to the Court in writing;

(iv) The mediator shall fix the date on which the parties may appear before the Court concerned and within that period he shall submit the report to the Court as per Schedule VI.

21- Fee of mediator:

The fee of the mediators with effect from commencement of these Rules shall be as follows:-

(i) on successful mediation, a mediator shall be entitled to payment of Rs. 3,000/-;

(ii) if the parties do not arrive at a settlement, but at least three sessions of one hour each have been held, a mediator shall be entitled to payment of Rs. 1,500/-;

Provided that the Chief Justice of the High Court may revise the fee structure from time to time.

22- Ethics to be followed by mediator:

The mediator shall:

(i) Follow and observe the Rules strictly and with due diligence;

(ii) Not carry on any activity or conduct which can reasonably be considered as unbecoming of a mediator;

(iii) Uphold the integrity and fairness of the mediation process;

(iv) Ensure that the parties involved in mediation are fairly informed and have an adequate understanding of the procedural aspects of the process;

(v) Satisfy himself/herself that he/she is qualified to undertake and complete the assignment in a professional manner;

(vi) Disclose any interest or relationship likely to affect impartiality or which may give an appearance of partiality or bias;

(vii) Avoid, while communicating with the parties, any impropriety;

(viii) Be faithful to the relationship of trust and confidentially imposed in the office of mediator;

(ix) Recognize that mediation is based on principles of self-determination by the parties and that the mediation process relies upon the ability of the parties to arrive at a settlement;

(x) Maintain reasonable expectations of the parties as to confidentiality; and

(xi) Refrain from extending promises or guarantees.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

23- <u>Repeal:</u>

The Uttar Pradesh Civil Procedure Mediation Rules, 2009 shall stand repealed from the date of enforcement of these rules.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Schedule - I

MEDIATION AND CONCILIATION CENTRE

(District)

(APPLICATION FOR BEING EMPANELLED AS MEDIATOR)

1. Name :
2. Father's Name :
3- Address :
   (a) Office
   (b) Residence
4. Telephone No. :
   (a) Office
   (b) Residence
5. Mobile No. :
   (a) Office
   (b) Residence
6. E-mail Id:
7. Academic Qualifications:
8. Professional Qualifications and Experience:
9. Technical experience, if any:
10. Special qualification or experience in Mediation, if any:
11. Bar Council Enrollment Number with date:
    (applicable only to advocates)
12. Whether any Charge Sheet has been submitted against you in any Court? :
13. Whether you have been convicted by the Court for offense involving moral turpitude? :
14. Whether you have been adjudged insolvent or have been declared to be of unsound mind? :
15. Whether any disciplinary proceedings have ever been initiated against you by the disciplinary authority, or whether you have been punished in such disciplinary proceedings? :

Self attested Photograph to be affixed

I ..... do hereby submit that I am willing to be empanelled as a mediator in ..... Judgeship and give my consent for being empanelled under Rule 3 of the Uttar Pradesh Civil Procedure (District Court) Mediation Rules, 2021. I assure that during my term as a mediator, I shall follow ethics as prescribed in Rule 22 of the said Rules while performing my duties. I also undertake to undergo the mediator's training as prescribed by the Mediation and Conciliation Project Committee of the Supreme Court of India. I declare that the above furnished information is true to the best of my knowledge and nothing has been concealed.

Full Signature:

Date:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Schedule - II

MEDIATION AND CONCILIATION CENTRE

(District)

(CASE SHEET FURNISHED BY THE COURT TO THE CENTER)

1. Date of Reference :

2. Name of the Presiding Officer/Referral Judge referring the matter :

3. Case Number :

4. Category of Case :

5. Name of Parties :

6. Contact information of Parties :

7. Names and Contact information of Counsel :

8. List of documents Annexed to case sheet :

(To be prepared and signed by the Reader of the Court Concerned)

Full Signature:

Date:

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Schedule - III

MEDIATION AND CONCILIATION CENTRE

(District)

(Written Notice to the Parties and Their Counsel)

1. The referral of the case by the Court for mediation :

2. The date of Reference :

3. Information about the process of mediation :

4. Name of the mediator :

5. Date, time and place of mediation :

(Authorized Signatory)

Full Signature:

Date:

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Schedule - IV

MEDIATION AND CONCILIATION CENTRE

(District)

(Information Sheet Furnished to the parties)

Case Name:

Case Number:

Name of the Mediator:

1. This mediation is being conducted with the purpose of arriving at an acceptable resolution by settling the dispute in an amicable manner. The Parties should participate in good faith.

2. The Mediator will inform the parties about the date, time and place of the mediation session.

3. (a) The parties residing in India agree to

(i) Attend the mediation session personally or

(ii) be represented at the mediation sessions by their constituted attorney with authority to settle the dispute

(strike off whichever is not applicable)

(b) The parties not residing in India agree to be represented at the mediation sessions by their constituted attorney or Counsel with authority to settle the dispute.

4. The mediator shall respect the confidentiality of information that the parties request him/her to keep confidential.

5. The parties shall not rely or introduce as evidence in any suit or view or suggestions or admissions expressed or made by a party in any proceeding/proposals made by the Mediator and indication of acceptance by a party during the course of the mediation proceedings.

6. The parties agree not to call the Mediator as a witness or as an expert in any suit or proceeding relating to the dispute which is the subject of mediation.

7. If the parties reach a settlement, they shall sign an agreement to that effect and this shall be submitted to the Court.

8. The entire process is a voluntary process and until parties reach a settlement and sign an agreement, any party is free to opt out of the process.

9. If the parties fail to reach a settlement, the matter shall be referred back to the Court.

(To be signed & dated by each party and the Counsel identifying them)

Full Signature:

Date:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

Schedule - V

MEDIATION AND CONCILIATION CENTRE

(District)

(Settlement Agreement)

This settlement agreement entered into on ..... between ..... and ..... Identified by ..... Advocate.

1. Disputes and differences had arisen between the parties hereto and ..... (Case No.) was filed on ..... (date of institution) before ..... (give particulars of the court concerned)

2. The matter was referred to mediation by order dated ..... passed by ..... (Name and designation of the Presiding Officer concerned).

3. Meetings were held during the process of Mediation from ..... to ..... and the parties have with the assistance of the mediator voluntarily arrived at an amicable solution resolving the above-mentioned dispute and differences.

4. The parties hereto confirm and declare that they have voluntarily and of their own free will arrived at this Settlement/Agreement in the presence of the Mediator.

5. The following settlement has been arrived at between the parties hereto:

A. .....

B. .....

C. .....

6. By signing this agreement the parties hereto state that they have no further claims or demands against each other with respect to (Case No.) and the parties hereto through the, process of Mediation in this regard have amicably settled all disputes and differences.

Signature(s) of the parties with date:

Signature of the Counsel with date:

(Additions/alternations in the form as per requirement are permitted)

Signature:

Date:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

Schedule - VI

MEDIATION AND CONCILIATION CENTRE

(District)

REPORT TO THE COURT

1. Court Case No. :

2. Referred by :

3. Date of Referral :

4. Mediator :
   (a)
   (b)
   (c)

5. Date(s) of Mediation Sessions :

(i) Mediation completed. Agreement enclosed

or

(ii) Mediation completed. No settlement.

or

(iii) Parties not willing for mediation.

6. The parties have been directed to appear before the Court on .....

Signed by Mediator (s):

Dated:

By order of Court

Registrar General

By Order

(Pramod Kumar Srivastava-II)
Principal Secretary

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।